न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरणसंख्या 03/2023

प्रविष्टि दिनांकः- 27.10.2023

मुकेश पुत्र रामनारायण जाति छीपा निवासी ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति बाबर निवासी ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान
2. ग्राम पंचायत नासिरदा पंचायत समिति देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज0) जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने पट्टा संख्या 22 बुक संख्या 7 दिनांक 25.11.1999

उपस्थितः (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक विपक्षी संख्या 1।

निर्णय

दिनांक 05/6/25

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक द्वारा अपने संकल्प संख्या 2 से दिनांक 25.11.1999 को पट्टा संख्या 22 बुक संख्या 7 विपक्षी संख्या 1 व मृतक लाड देवी पुत्री रामदयाल जाति बाबर जिसका विपक्षी सं. 1 वारिस है, को जारी किया था। उक्त पट्टे को गलत तथ्यों के आधार पर जारी होना बताते हुए निरस्त करवाने हेतु निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत से पट्टे संबंधित पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नासिरदा ने पत्र क्रमांक GPN/2023/23 दिनांक 02.05.2025 से अवगत कराया कि वांछित पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त पट्टा विलेख वास्तविक तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत नासिरदा के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया तथाकथित पटटा संख्या 22 बुक संख्या 7 जो दिनाक 25.11.1999 के संकल्प संख्या 2 के अनुसरण में जारी किया गया है, वह अस्तित्व में ही नहीं है इसलिए उसे अपास्त व निरस्त किया जाना आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

यदि एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जावे कि यदि कोई पट्टा जारी भी किया गया था तो वह पट्टा, पट्टे की भूमि बातचीत के द्वारा विक्रय के तहत विक्रय किया जाना बताया है, जो राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाये गये पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानों के विपरीत है और उनकी पालना भी नहीं की है। नियम 156 में उल्लेखित हैं कि पंचायत उस भूमि को ही बातचीत के माध्यम से विक्रय कर सकेगी जहां किसी व्यक्ति के पास भूमि पर स्वामित्व का प्रशंसनीय दावा है और नीलामी से उचित मूल्य नहीं मिल सकता। साथ ही किसी भी स्थिति में ऐसी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित सूचकांक मूल्य से कम दर पर और विकास अधिकारी द्वारा गांव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य के रूप में बतायी गई दर पर हस्तानान्तरित नहीं की जायेगी।

विचाराधीन पट्टा बनाने में उक्त नियम की पालना नहीं किये जाने के कारण तथाकथित संकल्प व उसके अनुसरण में जारी किया गया पट्टा अपास्त व निरस्त योग्य है। यह कि उक्त अनुसार प्रथमतः कोई संकल्प ही नहीं लिया गया और यदि कोई ऐसा संकल्प विपक्षी सं. 1 व मृतक लाड देवी के पक्ष में दिया गया है तो भी वह राजस्थान पंचायत राज नियमों के विपरीत होने के कारण आदेश व पटटा निरस्त, अपास्त व शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

भूमि की कीमत मात्र 100 रु० दर्शायी गई है जबकि वर्तमान में उस भूमि की कीमत लाखों रूपये है और सन 1999 में भी उसकी कीमत किसी भी रूप में 100 रू. नहीं थी क्योंकि वह बाजार व बस स्टेण्ड के पास में है। ऐसी स्थिति में पटटा जारी करने के लिए लिया गया तथाकथित संकल्प व उसके अनुसरण में जारी किया गया पटटा अपास्त किये जाने योग्य है। तथाकथित पटटा जारी किये जाने से पूर्व नियमों व प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। निगरानीकर्ता ग्राम नासिरदा का निवासी हैं। निगरानीकर्ता की पैतृक मिल्कियत की सम्पत्ति पर जबरन अतिक्रमण करना चाहा तो निगरानीकर्ता व उसके भाईयों ने विपक्षीगण के विरुद्ध एक वाद सिविल जज देवली के न्यायालय में पेश किया। उक्त वाद में विपक्षीगण ने स्वंय व मृतक लाड देवी पुत्री रामदयाल जाति बाबर जिसका वह स्वयं बाद में वारिस बना, के पक्ष में तथाकथित रूप से ग्राम पंचायत नासिरदा से जारी शुदा पट्टे का उल्लेख किया तथा पेश किया जिसमें पंचायत के संकल्प संख्या 2 दिंनाक 25.11.1999 के अनुसरण में जारी किये गये पटटा संख्या 22 बुक संख्या 7 को दर्शाया है।

उक्त पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने के लिए निगरानीकर्ता ने पंचायत नासिरदा में अनेक बार सम्पर्क किया किन्तु विपक्षीगण के प्रभावशाली होने से सदैव निगरानीकर्ता को भगा दिया तथा झूठे मुकदमें दर्ज कराने की धमकी दी। बड़ी मुश्किल से दिंनाक 19.07.2023 को वर्तमान सरपंच को उक्त तथाकथित पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रतिलिपि लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होने प्रम विकास अधिकारी ग्रम पंचायत नासिरदा के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर दिंनाक 27.7.2023 को ग्राम विकास अधिकारी ने "प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं है।" लिखकर अपने हस्ताक्षर मय मोहर करते हुए मूल वापिस लोटा दिया।

तत्पश्चात् निगरानीकर्ता ने पंचायत समिति देवली में भी उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का प्रयास किया। परन्तु वहां पर भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताकर प्रार्थना पत्र लेने व निगरानीकर्ता को सुनने से इन्कार कर दिया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार गैरनिगरानीकार द्वारा जो पटटा सिविल जज देवली के न्यायालय में पेश किया था वह विधिवत जारी किया हुआ ही नहीं है लेकिन विपक्षी सं. 1 उक्त पटटे के आधार पर निगरानीकर्ता व पंचायत की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा बनाये रखना चाहता है इसलिए उक्त पट्टे व तथाकथित आदेश को निरस्त कराये जाने के लिए यह निगरानी पेश है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जाकर विपक्षी सं. 1 व मृतक लाड देवी के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित संकल्प संख्या 2 दिनाक 25.11.1999 व उसके अनुसरण में जारी किया गया पटटा संख्या 22 बुक संख्या 7 को अपास्त, निरस्त व शून्य घोषित किया जावे।

अभिभाषक विपक्षी सं. 1 की बहस सुनी गई। अभिभाषक विपक्षी सं. 1 ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त पट्टा सही एवं विधिसम्मत है। उक्त पट्टा नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है। उक्त भूमि का एक पट्टा दिनांक 30.01.1992 को निगरानीकर्ता के दादा रामस्वरूप छीपा ने अवैधानिक रूप में ग्राम पंचायत से प्राप्त किया था जिसे निरस्त करवाने हेतु एक निगरानी न्यायालय हाजा में दिनांक 18.02.2021 को विपक्षी सं. 1 ने दायर की है जिसमें निगरानीकर्ता को नोटिस जारी होने पर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी दुर्भावनापूर्वक जानबूझकर मात्र परेशान करने की नियत से विपक्षी के विरूद्ध पेश की है। **उक्त पट्टा दिनांक 25.11.1999 सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर बनवाया गया है एवं ग्राम** पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त कानूनी कार्यवाही की गई है। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर विपक्षी का कई वर्षो से कब्जा है। उक्त निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर विपक्षी को जारी पट्टा यथावत रखा जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस को सुना एवं मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि कि ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक द्वारा अपने संकल्प संख्या 2 से दिनांक 25.11.1999 को पट्टा संख्या 22 बुक संख्या 7 विपक्षी सं0 1 व मृतक लाड देवी पुत्री रामदयाल जाति बाबर को जारी किया गया था। निगरानीकर्ता ने उक्त पट्टे को विधिविरूद्ध एवं अवैधानिक बताया है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए हैं जिससे उक्त पट्टा विधिविरूद्ध प्रतीत हो। निगरानीकर्ता का कथन है कि उक्त पट्टे की भूमि बातचीत के द्वारा विक्रय की गयी है जो पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 156 के प्रावधानों के विपरीत है परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं हुए है। उक्त पट्टे का अवलोकन करने से स्पष्ट हैं कि उक्त पट्टा नियम 167(1) के तहत जारी किया हुआ है।

विपक्षी सं. 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली में थानाधिकारी पुलिस थाना देवली जिला टोंक द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की हैं जिसमें थानाधिकारी पुलिस थाना देवली ने अंकित किया हैं कि "मुकेश नामा द्वारा बताया गया पट्टा दिनांक 30.01.1992 जो पंचायत नासिरदा से रामस्वरूप पुत्र भूरालाल छीपा के नाम जारी होना बताया है जिस बाबत् पंचायत नासिरदा से जानकारी चाही गई तो इस नाम से कोई पट्टा जारी नहीं होने के संबंध में रिपोर्ट पंचायत सचिव व सरपंच ने अपने कथन व लेटर पेड पर लिखित में दिया है और उक्त भूमि का पट्टा पंचायत नासिरदा द्वारा पट्टा सं. 22 दिनांक 25.11.1999 को लाड देवी पुत्री रामदयाल व सुरेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल बाबर निवासी नासिरदा के नाम जारी है।" इससे ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

नासिरदा द्वारा दिनांक 25.11.1999 को लाड देवी पुत्री रामदयाल व सुरेश चन्द पुत्र कन्हैयालाल बाबर निवासी नासिरदा को जारी किये गये पट्टा सं. 22 की पुष्टि होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक द्वारा अपने संकल्प संख्या 2 से दिनांक 25.11.1999 को पट्टा संख्या 22 बुक संख्या 7 विपक्षी संख्या 1 व मृतक लाड देवी पुत्री रामदयाल जाति बाबर को जारी किया गया पट्टा उचित प्रतीत होता हैं।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता खारिज की जाकर ग्राम पंचायत नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक द्वारा अपने संकल्प संख्या 2 से दिनांक 25.11.1999 को विपक्षी संख्या 1 व मृतक लाड देवी पुत्री रामदयाल जाति बाबर को जारी किया गया पट्टा संख्या 22 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक
अति0 जिला कलेक्टर
टोंक